



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में जनपद सीतापुर के 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः गोदलामऊ, भम्होरा, मीरानगर, मछरेहटा एवं साण्डा में अग्निशमन व्यवस्था कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-29फ/10(46)26/426 दिनांक 22.09.2026 एवं शासनादेश संख्या-आई0/1075030/2025-5-6099/282/2025-6, दिनांक 01.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 01.09.2025 द्वारा जनपद सीतापुर के 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः गोदलामऊ, भम्होरा, मीरानगर, मछरेहटा एवं साण्डा में अग्निशमन व्यवस्था कार्य हेतु "यू0पी0आर0एन0एस0एस0" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.09.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद सीतापुर के 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः गोदलामऊ, भम्होरा, मीरानगर, मछरेहटा एवं साण्डा में अग्निशमन व्यवस्था कार्य हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि रुपये 480.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत समतुल्य धनराशि रुपये 240.16 लाख (रुपये दो करोड चालीस लाख सोलह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगमन के अनुसार कार्य की धनराशि (रु. लाख में)	कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगमन उपरान्त प्रस्तावित प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1	गोदलामऊ	104.75	96.16	48.08
2	भम्होरा	104.75	96.16	48.08
3	मीरानगर	104.49	95.68	47.84
4	मछरेहटा	104.75	96.16	48.08
5	साण्डा	104.75	96.16	48.08
	योग	523.49	480.32	240.16

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
 3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 4. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
 5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
 6. प्रायोजना का अनुमोदन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों का पालन मानते हुये लागत का अनुमोदन किया गया है, प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, सामग्री एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता/कार्यदायी संस्था की होगी।
 9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
 12. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
 13. कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाये और शासकीय धन पर कोई व्याज अर्जित किया गया हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।
 14. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 15. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,40,16,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210028000300** ग्रामीण चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन/सी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ/सीतापुर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।